



अमंत्र :- न्यायालय बाजबव मण्डल छवालियन, शाकवा-भोपाल (म.प्र.)

निगरानी क्र.

/2018
PBR | निगरानी बैतूल | भू. रा। 2018। 1067

निगरानी बैतूल
 क्र। 1-2-18 वा। 1953
 शक्ति
 ३.
 1-2-14

1. लक्ष्मण चढ़ोकान, आयु-लगभग 99 वर्ष, पिता-जैनाम चढ़ोकान, जाति-कुन्बी, निवासी - ग्राम नवापुर, तहसील-भैंसदेही, जिला-बैतूल (म.प्र.)
 2. गीताबाई चढ़ोकान, आयु-लगभग 42 वर्ष, बेवा- गणेश, जाति-कुन्बी, निवासी - ग्राम नवापुर, तहसील-भैंसदेही, जिला-बैतूल (म.प्र.)
-निगरानीकर्तागण

विवरण

1. बमेश, आयु- लगभग 47 वर्ष, वल्द-लक्ष्मण चढ़ोकान, जाति-कुन्बी, निवासी- दिपिका ठोटल के पास बगडोना, आवणी, तह.-घोड़ाडोंगवी, जि.-बैतूल (म.प्र.)
2. मालतीबाई, आयु- लगभग 54 वर्ष, पति-वामन, पिता- लक्ष्मण चढ़ोकान, जाति-कुन्बी, निवासी- दिपिका ठोटल के पास बगडोना, आवणी, तह.-घोड़ाडोंगवी, जि.-बैतूल (म.प्र.)
3. विंधुबाई, आयु- लगभग 51 वर्ष, पति-प्रभाकर मठाले, पिता- लक्ष्मण चढ़ोकान, जाति-कुन्बी, निवासी- पोकट-गढ़ा, तहसील व जिला-बैतूल (म.प्र.)
4. उर्मिलाबाई, आयु- 48 वर्ष, पति-बलदेव वडुकले, पिता-लक्ष्मण चढ़ोकान, जाति-कुन्बी, निवासी- मालेगांव, पो.- विजयग्राम, तह. भैंसदेही, जि.-बैतूल

.... गैवनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-बाजबव अठिता 1959

निगरानीकर्तागणों की ओर ये निम्न आधारों पर इनिगरानी प्रकृत है :-

उक्त निगरानी न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम अंभाग ठोशांगाबाद के न्यायालय ये निवाकृत अपील प्रकरण क्रमांक 52/अपील/2016-17 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 21.11.2017 ये क्षुब्ध ठोकब माननीय न्यायालय के अमंत्र अमयकीमा में प्रकृत है। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम अंभाग ठोशांगाबाद का अंतिम आदेश उक्त इनिगरानी के बाथ अंलग्न ठोकब एनेक्सब पी-1 ये चिनित है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

23

प्रकरण क्रमांक PBR/भा/वेद्धेन/थरो/18/1067 भाग-अ

लक्षण

विरुद्ध

वेद्धेन

तहसील

जिला

क्षेत्र

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.


जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28-2-18 02	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री लक्षण द्वारा वेद्धेन/थरो/18/1067 के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आक्षण शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p style="text-align: right;">प्रस्तुतकार</p> <p>ज्ञानेन्द्र पर्श सूचना अंदांत अनुपायित। ज्ञानेन्द्र पर्श को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु ज्ञानेन्द्र पर्श को ज्ञोर में छोड़ उपायितनहीं हुआ। प्रकरण ज्ञानेन्द्र पर्श को अनुपायित में अद्यम पैरवी में रखारिज किया जाता है।</p>	

जिलाध्यक्ष

[पीछे देखिये]